To develop Toy City.

14/18/164 Sh. Neeraj Sharma, MLA (Faridabad NIT):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that a meeting headed by Chief Minister was held on dated 02.07.2020 at the Chief Minister residence in Chandigarh for the development of a Toy city in Faridabad NIT Assembly constituency; if so, the name of those persons who were present in the above said meeting together with the decision taken in the said meeting; and
- b) the time by which the Toy City is likely to be developed?

Reply:

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

- a) Sir, there is no specific record available with regard to meeting dated 02.07.2020.
- Earlier, Sh. Neeraj Sharma, MLA (Faridabad NIT) vide his letter dated 12.07.2020 addressed to Hon'ble Chief Minister, had forwarded a proposal, regarding setting up of Toy City on land measuring 48 acres (approx.). After examining said proposal, it came to notice that the land proposed vide said letter was not falling under the Industrial Zone. Therefore, the demand regarding setting up of Toy City on the proposed land was not feasible. If any alternate land is proposed, same shall be examined for feasibility.

एक टॉय सिटी विकसित करना

- 14/18/164 श्री नीरज शर्मा, विधायक, (फरीदाबाद, एनआईटी): क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि :
- क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद एन.आई.टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टॉय सिटी विकसित करने के लिए दिनांक 02.07.2020 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी; यदि हां, तो उपरोक्त बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया; तथा
- ख) टॉय सिटी को कब तक विकसित किये जाने की संभावना है? उत्तरः

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

- क) महोदय, दिनांक 02.07.2020 की बैठक के संबंध में कोई विशिष्ट रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।
- ख) इससे पहले, श्री नीरज शर्मा, विधायक, (फरीदाबाद, एनआईटी) ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित अपने पत्र दिनांक 12.07.2020 के माध्यम से 48 एकड़ (लगभग) भूमि पर टॉय सिटी की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था । उक्त प्रस्ताव की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त पत्र द्वारा प्रस्तावित भूमि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रही है। अतः प्रस्तावित भूमि पर टॉय सिटी स्थापित करने संबंधी मांग व्यवहार्य नहीं थी। यदि कोई वैकल्पिक भूमि प्रस्तावित है तो व्यवहार्यता के लिए उसकी जांच की जाएगी।
